न्यायालय जिला कलक्टर, चूरू
पीठासीन अधिकारी – सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.,जिला कलक्टर, चूरू (राजस्थान)

प्रार्थना–पत्र संख्या 94 सन् 2021 निर्णय दिनांक 07.02.2022

देवीलाल पुत्र लेखराम जाति जाट निवासी कानसर, भिण्डासर, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़

– प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये सहायक अभियोजन महोदय, चूरू

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 457 दण्ड प्रक्रिया संहिता

उपस्थिति :–

श्री अर्जुन सिंह, वकील – प्रार्थी

–:: निर्णय ::–

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 23.10.2021 को पुलिस थाना साहवा जिला चूरू द्वारा अवैध डीजल बिक्री की सूचना की जांच हेतु मौके पर भंवरलाल पुत्र कुरडाराम जाति जाट निवासी पुनसीसर तहसील तारानगर जिला चूरू के यहां पहुंचे। मौके पर एक गाड़ी पिकअप संख्या आर. जे. 49 जी. ए. 3327 को जब्त किया गया। भौतिक सत्यापन में मौका पर कुल 11 ड्रमों व 1 प्लास्टिक की टंकी में भरे डीजल की कुल मात्रा 2568 लीटर पायी गयी। जिसमें से उक्त पिकअप में 8 प्लास्टिक ड्रम डीजल से भरे हुए रखे हुए थे। उक्त डीजल हरियाणा से खरीद किया जाकर बिना लाईसेंस, परमिट के अवैध बेचने के लिए बताया जाने पर एफ.आइ.आर. संख्या 164/2021 दिनांक 23.10.2021 बजुर्म धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में दर्ज की गई।

उक्त जब्तशुदा एक गाड़ी पिकअप संख्या आर. जे. 49 जी. ए. 3327 को सुपुर्दगी पर दिये जाने के बाबत् प्रार्थी द्वारा सुपुर्दगी प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर थानाधिकारी पुलिस थाना साहवा से तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गई व विद्वान वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने सुपुर्दगी प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए बहस में कहा, कि प्रकरण में जब्तशुदा एक गाड़ी पिकअप संख्या आर. जे. 49 जी. ए. 3327 का प्रार्थी मालिक है। प्रार्थी का उक्त वाहन पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। वाहन से अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। उक्त वाहन प्रार्थी की आय का एकमात्र जरिया है, पिकअप जब्त किये जाने के कारण प्रार्थी बेरोजगार हो गया है व परिवार के पालन पोषण का भी संकट पैदा हो गया है। पुलिस थाना परिसर में वाहन के खुले में खड़े रहने पर रंग–रोगन व टायर–ट्यूब आदि खराब हो जायेगें। प्रकरण के निस्तारण में समय लगेगा। अंत में जब्तशुदा वाहन को साधारण जमानत पर सुपुर्द किये जाने बाबत निवेदन किया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। थाने में खड़ा रहने पर वाहन को नुकसान होने की सम्भावना है। पुलिस थानाधिकारी साहवा की रिपोर्ट दिनांक 10.01.2022 के अनुसार पिकअप संख्या आर. जे.

जिला कलेक्टर
चूरू

49 जी. ए. 3327 के मालिक से अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। ऐसे में वाहन को थाना पर खड़ा रखे जाने का कोई औचित्य नही है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सुपुर्दगी प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। निम्न शर्तों के तहत 50/– रूपये के स्टाम्प पर ढ़ाई लाख रूपये का सुपुर्दगीनामा व ढ़ाई लाख रूपये का जमानतनामा पेश किये जाने पर सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा तस्दीक किया जाये।

शर्ते–

1. प्रार्थी उक्त वाहन का न्यायालय से निर्णय होने तक किसी व्यक्ति को बेचान व स्थानान्तरण नहीं करेगा।
2. प्रार्थी वाहन के रंग–रोगन का न्यायालय की स्वीकृति के बिना परिवर्तन नहीं करेगा।
3. न्यायालय द्वारा जब भी वाहन को तलब किया जावे तो प्रार्थी स्वंय के खर्चे पर वाहन को न्यायालय में हाजिर रखेगा।

इसी प्रकार के अपराध में वाहन का प्रयोग लिया गया तो सुपुर्दगी व जमानतनामा निरस्त समझे जायेगें और वाहन को पुनः कब्जे में लिया जा सकेगा।

उपरोक्त शर्तो के अध्यधीन प्रार्थी देवीलाल पुत्र लेखराम जाति जाट निवासी कानसर, झिण्डासर, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान) को वाहन पिकअप संख्या आर. जे. 49 जी. ए. 3327 के सुपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते है। थानाधिकारी पुलिस थाना, साहवा को तद्नुसार पत्र जारी हो। पत्रावली फैसला शुमार होकर नंबर से कम की जाकर नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर, चूरू
जिला कलेक्टर
चूरू